आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी कायम अपील वाद संख्या–13/13

सुबोध यादव–अपीलार्थी

बनाम

शैलेन्द्र कुमार वर्मा– उत्तरवादी

आदेश

14.02.15

अपीलार्थी सुबोध यादव ने शैलेन्द्र कुमार वर्मा को उत्तरवादी पक्षकार बनाते हुए विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के जमाबंदी कायम वाद सं0–16/11–12 में दिनांक–24.12.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद लाया है। विवादी भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा वि0 क0 धू0
परमानन्पुर	41	116	00–07–15
	41	164	00–10–14

अपीलार्थी की मुख्य शिकायत है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने उन्हें बिना नोटिश किये एवं बिना सुने ही वाद को खारिज कर दिया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन के खतियानी रैयत स्व0 द्वारिका प्रसाद पे0–रधुनंदन प्रसाद, साकिन–उत्तरी हाजीपुर, जिला–खगड़िया थे। स्व0 द्वारिका प्रसाद के परपोता श्री अजय कुमार (अधिवक्ता) ने दिनांक–08.07.2011 को प्रश्नगत भूमि के वाजिब जरसमन प्राप्त कर अभिलार्थी को बजरिये निबंधित केवाला सं0–4111 द्वारा बिक्री कर दी। उस पर वे अपने को शांतिपूर्ण दखलकार भी बताते है।

वे आगे बताते है कि प्रश्नगत भूमि जमींदारी उन्मूलन के कुछ वर्ष पूर्व बुढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण नदी के गर्भ में चली गई थी जिस कारण अपीलार्थी के विक्रेता के पूर्वज ने जोत–आवाद बंद कर दिया तथा इसके कारण जमींदार उसका रिर्टन भी दाखिल नहीं किया था। फलतः अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी भी कायम नहीं हो पाया। उन्होनें अपनी अर्जी में खतियानी रैयत का वंशावली भी दिया है। जमीन जमींदार उन्मूलन के बाद जमीन नदी से बाहर आई है। विक्रेता के पूर्वज पूर्व की भांति उस पर जोत आवाद करते रहे तथा बिक्री के पूर्व उनका विक्रेता जोत–आवाद करते थे। उन्हें गृहस्थी प्रयोयनार्थ दिनांक–08.07.2011 को प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थी को बेचनी पड़ी और वे उस पद दखलकार भी हुए।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि उन्होनें प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी कायम हेतु अंचल अधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में वाद सं0–16/11–12 दायर किया परन्तु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक

को मेल में लाकर एक झुठा प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, खगड़िया के समक्ष प्रतिवेदित करा दिया कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। उत्तरवादी बलपूर्वक जमीन पर जोत–आवाद करने का प्रयास किया जिसमें पक्षकारों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस बीच उत्तरवादी पुलिस एवं असामाजिक तत्व की सहायता से उस पर निर्माण कार्य शुरू किया जिसका उन्होनें कड़ा विरोध किया तब निर्माण कार्य बंद हुआ। वे दावा करते है कि इस स्थिति के बाद उन्होनें इस पर इट सिमेंट से लगभग 5 फीट उँची दिवाल स्थाई रूप से खड़ा कर दिया है तथा वहाँ एक कोणे में उनका शेड भी है जो उनका दखल कब्जा को प्रमाणित करता है परन्तु उत्तरवादी के मेल में आकर अंचल अमीन ने गलत रिर्पोट समर्पित कर दिया जबकि उत्तरवादी ने किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का स्तत्व से संबंधित कोई कागजात आज तक दाखिल नहीं किया। मात्र जमाबंदी की संख्या 138 बनाम छोटेलाल मंडल का बाजाप्ता नकल दाखिल कर उस पर अपना 148 दावा करते है।

उन्होनें विवादी भूमि के 4 कठ्ठा भूमि का भू–अर्जन के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान का दावा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि जब उक्त भूमि पर उत्तरवादी का स्वत्व नहीं था तो सरकार से मुआवजा प्राप्त करना जालफरेबी एवं अनाधिकृत कृत्य था।

उन्होनें प्रश्नगत भूमि पर अपना दखल कब्जा का दावा करते हुए कहा है कि अगर निष्पक्ष स्थल नीरीक्षण कराया जाय तो उस पर उनका दखल–कब्जा पाया जायेगा। उक्त भूमि पर तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर पुलिस प्रतिवेदन पर 144 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही चलाई गई जिसका वाद सं0–127(M) 2012 है। सुनवाई पश्चात् विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया ने अपीलार्थी के स्वामित्व दस्तावेज की अनदेखी कर उनके विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी ने अपने दावा के समर्थन में केवाला सं0–4111 दिनांक–08.07.2011 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। क्रय की गई भूमि का रकबा आदेश के भूमि ब्योरा कंडिका में दर्ज है।

विपक्षी का कहना है कि उक्त जमीन पर उनका दखल–कब्जा है और जमाबंदी उनके स्व0 पिता छोटेलाल मंडल पे0–तुलसी मंडल के नाम जमाबंदी स0–138/148 कायम है और खाता खेसरा विवादी भूमि का है। उनका यह भी कहना है कि विवादी भूमि पर लगान वाद माननीय मुन्सीफ, मुंगेर के न्यायालय में चला था। मामलें में डिक्री भी हुई तथा 212/–रू0 भुगतान का आदेश भी पारित हुआ। तब से तुलसी मंडल के उत्तराधिकारीगण उस पर दखलकार आ रहे है और छोटेलाल मंडल एवं उनके पुत्रगण लगान रसीद एवज जमाबंदी सं0–138/148 मौजा–परमानंदपुर प्राप्त कर रहे है।

उत्तरवादी आगे कहते है कि उनके दादा स्व0 तुलसी मंडल उक्त विवादी भूमि मौखिक विक्रय (Order Sale) द्वारा 55/–रू0 में प्राप्त किया था। वे उस पर दखलकार हुए, तत्पश्चात उनके वारिसान दखलकार चले आ रहे है।

उनका यह भी कहना है कि भू–अर्जन अधिनियम के तहत खेसरा 166 की 04 कठ्ठा जमीन राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–31 हेतु अर्जित की गई थी जिसका मुआवजा तुलसी मंडल ने प्राप्त किया था। उसके अलावे विपक्षी (उत्तरवादी) ने प्रश्नगत भूमि के दावा के समर्थन में अंचल अधिकारी खगड़िया के जमाबंदी वाद संख्या 16/11–12 में पारित आदेश एवं स्थानीय हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन एवं अंचल अमीन द्वारा प्रश्नगत